न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रकरण संख्या 52/2024

(GCMS **2024/87**)

राज्य सरकार जरिये सुमित्रा बिश्नोई, जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री अयूब खान** पुत्र श्री खान मोहम्मद, आयु 27 [illegible] मिरासी मुसलमान निवासी गांव भागसर तहसील सादुलशहर मोबाईल 77229–94764 आधार संख्या 3508 4712 4850 जिला श्रीगंगानगर
2. **फर्म न्यू वर्मा टायर पंचर,** बस स्टैण्ड, रीको लालगढ रोड, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>06.08.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर उपस्थिति हुए। विभागीय प्रतिनिधि को सुना गया।

अप्रार्थी अयूब खान को बार–बार आवाज़ लगाई गई, परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपनी बहस में कथन किया कि अवैध पैट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ फर्म न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर पर पंहुचे। मौका जांच उक्त दुकान में श्री अयूब खान पुत्र श्री खान मोहम्मद उपस्थित मिला। श्री अयूब खान ने स्वयं की आयु 27 वर्ष, जाति मिरासी, मुसलमान निवासी गांव भागसर तहसील [illegible]शहर, मो. 72299–47647 आधार संख्या 3508 4712 4850 जिला श्रीगंगानगर [illegible] बताया। वरवक्त मौका अयुब खान की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे यह भी कथन है कि दुकान में ग्यारह छोटे प्लास्टिक जरिकनों में पैट्रोल भण्डारित पाया गया तथा दो कीप (एक लोहे की एक प्लास्टिक की) पाई गई। अयूब खान पुत्र खान मोहम्मद की दुकान में सभी प्लास्टिक जरिकनों में कुल 38 लीटर पैट्रोल होना पाया। पूछताछ पर श्री अयूब खान पुत्र खान मोहम्मद ने बताया कि उसके द्वारा **पंजाब से पैट्रोल पम्प से पैट्रोल सस्ते दाम पर क्रय कर श्रीगंगानगर में फर्म न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर पर विक्रय किया जाता है।** अयूब खान पुत्र श्री खान मोहम्मद द्वारा **पैट्रोल के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नही किया।**

उनका आगे यह भी कथन है कि दुकान न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालागढ़ रोड़, श्रीगंगानगर में 05 घरेलू गैस सिलेण्डर भी पाये गये तथा रिफिलिंग में प्रयोग में लेने वाली बांसुरी भी पाई गई मौके पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी के तथा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी के पाये गये। **पूछताछ में अयुब खान ने घरेलू गैस सिलेण्डरों से बांसुरी के माध्यम से दूसरें गैस सिलेण्डरों में रिफिलिंग करना बताया।** उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर के बारे में पूछने पर अयूब खान ने गैस सिलेण्डर कहां से प्राप्त किया है, इसके बारे में स्पष्ट जवाब नही दिया तथा उक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण, बेचान तथा रिफिलिंग से सबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री अयूब खान द्वारा प्रस्तुत नही किये गये।

उनका आगे यह भी कथन है कि मौके पर फर्म न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालगढ़ रोड़, श्रीगंगानग[...]ये गये 38 लीटर पैट्रोल मय ग्यारह छोटे प्लास्टिक जरिकन, दो कीप (एक [...] एक प्लास्टिक की) तथा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी गैस त[...] अवैध गैस रिफिलिंग में प्रयोग में ली जाने वाली एस बासुरी को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। जब्तशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

05 घरेलू गैस सिलेण्डरों व एक बांसुरी को श्री राकेश पुत्र श्री पटवारी लाल आयु 28 वर्ष, जाति भाट, मोबाईल नम्बर 7229990866 कार्मिक भारत गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर, को सुपुर्द किया। फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। जब्तशुदा समस्त 38 लीटर पैट्रोल श्री चिराग जग्गा पुत्र श्री गुरूचरण जग्गा, आयु 32 जाति अरोड़ा निवासी केसरीसिंहपुर मैनेजर जग्गा फिलिंग स्टेशन, चक 10 एल एल तहसील गंगानगर, मोबाईल नम्बर 94612–29638 जिला श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया।

उनका आगे यह भी कथन है कि **अयूब खान पुत्र खान मोहम्मद द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करना, भण्डारण करना एवं बेचान करना LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1))(क)(ख)(ग), 4(1) (क)(ग) (2) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा अवैध पैट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण कर मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी है।** अयूब खान पुत्र खान मोहम्मद से जब्तशुदा अवैध पैट्रोल 38 लीटर मय ग्यारह छोटे प्लास्टिक जरिकन, दो कीप (एक लोहे की एक प्लास्टिक की) कीप, 05 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 66.4 किलो एलपीजी गैस तथा रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली एक बांसुरी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी अयूब खान ने दिनांक [illegible]24 को जवाब पेश किया था जिसमें उसने कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मौके पर दुकान में [illegible]8 लीटर पेट्रोल मय ग्यारह छोटे

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्लास्टिक जरिकन, दो कीप, 5 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर इत्यादि सामान जब्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा टायर पंक्चर एवं स्पेयर पार्टस की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है जिसमें पेट्रोल की आवश्यकता रहती है। मौके पर प्राप्त 5 सिलेण्डर घरेलू कार्य हेतु रिफिल करवाकर घर ले जाने के उद्देश्य से दुकान पर ही रख लिये गये। उक्त सिलेण्ड बेचान के उद्देश्य से नहीं रखे गये थे। इसलिए प्रार्थी की आर्थित स्थिति को मध्यनजर रखते हुए उक्त जब्त सामान को राजसात नहीं करने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अवैध पैट्रोल व डीजल की बिक्री की शिकायतों की जांच हेतु जिला रसद अधिकारी मय प्रवर्तन स्टाफ फर्म न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर पर पंहुचे जहां श्री अयूब खान पुत्र श्री खान मोहम्मद उपस्थित मिला, जिसकी उपस्थिति में दुकान की जांच की गई। जांच के समय दुकान में ग्यारह छोटे प्लास्टिक जरिकनों में पैट्रोल भण्डारित पाया गया तथा दो कीप (एक लोहे की और एक प्लास्टिक की कीप) पाई गई तथा सभी प्लास्टिक जरिकनों में कुल 38 लीटर पैट्रोल होना पाया। पूछताछ पर श्री अयूब खान ने बताया कि उसके द्वारा **पंजाब से पैट्रोल पम्प से पैट्रोल सस्ते दाम पर क्रय कर श्रीगंगानगर में फर्म न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालगढ़ रोड़ श्रीगंगानगर पर विक्रय किया जाता है**। अयूब खान पुत्र श्री खान मोहम्मद द्वारा **पैट्रोल के भण्डारण/परिवहन व बेचान संबधी कोई अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र प्रस्तुत नही किया।** दुकान न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालागढ़ रोड़, श्रीगंगानगर में 05 घरेलू गैस सिलेण्डर भी पाये गये तथा रिफिलिंग में काम में लेने वाली बांसुरी भी पाई गई मौके पर दो घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी के तथा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी के पाये गये। **पूछताछ में अयुब खान ने घरेलू गैस सिलेण्डरों से बांसुरी के माध्यम से दूसरें गैस सिलेण्डरों में रिफिलिंग करना बताया।** उक्त 05 घरेलू गैस सिलेण्डर के बारे में पूछने पर अयूब खान ने गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सिलेण्डर कहां से प्राप्त किया है, इसके बारे में स्पष्ट जवाब नही दिया और ना ही गैस सिलेण्डरों के भण्डारण, बेचान तथा रिफिलिंग से सबंधित कोई भी वैध दस्तावेज श्री अयूब खान द्वारा प्रस्तुत नही किये गये। मौके पर फर्म न्यू वर्मा टायर पंच्चर, बस स्टैण्ड, रीको लालगढ़ रोड, श्रीगंगानगर पर पाये गये 38 लीटर पैट्रोल मय ग्यारह छोटे प्लास्टिक जरिकन, दो कीप (एक लोहे की एक प्लास्टिक की) तथा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय एलपीजी गैस तथा अवैध गैस रिफिलिंग में प्रयोग में ली जाने वाली एस बांसुरी को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया गया। जब्तशुदा 05 घरेलू गैस सिलेण्डरों व एक बांसुरी को श्री राकेश पुत्र श्री पटवारी लाल आयु 28 वर्ष, जाति भाट, मोबाईल नम्बर 7229990866 कार्मिक भारत गैस एजेंसी, श्रीगंगानगर, को सुपुर्द किया। फर्द सुपुदर्गीनामा अलग से तैयार किया गया। जब्तशुदा समस्त 38 लीटर पैट्रोल श्री चिराग जग्गा पुत्र श्री गुरूचरण जग्गा, मैनेजर जग्गा फिलिंग स्टेशन, की सुपुर्दगी में दिया गया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **अयूब खान द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करना, भण्डारण करना एवं बेचान करना LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1))(क)(ख)(ग), 4(1) (क)(ग) (2) व 7(1)(ग) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा अवैध पैट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन व संग्रहण कर मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लाज 02(क्यू)(आर), 03 (4)(6), 04 का भी स्पष्ट उल्लंघन किया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी है।** अयूब खान से जब्तशुदा अवैध पैट्रोल 38 लीटर मय ग्यार[illegible]प्लास्टिक जरिकन, दो कीप (एक लोहे की एक प्लास्टिक की) [illegible] गैस सिलेण्डर मय 66.4 किलो एलपीजी गैस तथा रिफिलिंग में प्रयु[illegible] होने वाली एक बांसुरी को राजसात करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 के अनुसार वैद्य अनुज्ञापत्र/दस्तावेज होने का भार अप्रार्थीगण पर है। **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 14 निम्न प्रकार से है :**

> **धारा 14 : <u>कतिपय मामलों में सबूत का भार</u> :**
> **जहां कोई व्यक्ति धारा 2 के अधीन किए गए किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है तो उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिबद्ध करता है वहाँ यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है, उसी का होगा।**

अप्रार्थी अयूब खान पुत्र श्री खान मोहम्मद ने दिनांक 15.05.2024 को जवाब पेश किया था, परन्तु उसके पश्चात वह वह स्वयं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में कभी भी उपस्थिति नहीं होने के कारण उसके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी अयूब खान द्वारा उक्त व्यापार स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था। जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा **द्वारा कोई वैद्य अनुमति पत्र/अनुज्ञा पत्र/दस्तावेज पेश नहीं किया गया है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा 5 घरेलू गैस सिलेण्डर (दो घरेलू गैस सिलेण्डर एचपी कम्पनी के तथा तीन घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी के) तथा अवैध गैस [illegible] जाने वाली एक बांसुरी को **Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and distribution) Order 2000 की धारा 3(1)(क)(ख)(ग), 4(1)(क)(ग)(2) एवं 7(1) (ग) की अवहेलना करने के कारण राजसात करने योग्य है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के पृष्ठ संख्या 187—188 पर दिये गये विलायकों के वर्गीकरण बिन्दु संख्या 12(2) निम्नानुसार अवलोकनीय है:

> 12(1) ....
>
> 12(2) उपरोक्त सभी पेट्रोलियम पदार्थों के भण्डारण हेतु विस्फोटक विभाग द्वारा पेट्रोलियम अधिनियम 1934 की धारा में दी गई छूट के अलावा अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है। 30 लीटर पेट्रोलियम वर्ग "क", 2500 लीटर अविपुल पेट्रोलियम वर्ग "ख" एवं 5000 लीटर वर्ग "ग" के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति के किया जा सकता है।

इस प्रकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी "विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भण्डारण और ऑटोमोबाईल्स में उपयोग व निवारण) आदेश 2000 के अनुसार वर्ग "क" के 30 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण बिना अनुज्ञप्ति(License) किया जा सकता है इससे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु अनुज्ञप्ति(License) की आवश्यकता है जबकि अप्रार्थी से 38 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया है। इसलिए अप्रार्थी अयूब खान से जब्तशुदा 38 लीटर पैट्रोल मय ग्यारह छोटे प्लास्टिक जरिकन, दो कीप (एक लोहे की एवं एक प्लास्टिक की कीप) को अवैध पैट्रोल की खरीद बेचान, परिवहन [illegible] कर मोटर स्पिरिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 02(क्यू)(आर), 3(4)(6), [illegible] की उल्लंघना करने के कारण राजसात करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अयूब खान से **जब्तशुदा** अवैध 38 लीटर पेट्रोल मय ग्यारह छोटे प्लास्टिक जरिकन, दो कीप (एक लोहे की एवं एक प्लास्टिक की कीप), 05 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर मय 66.4 किलो एलपीजी गैस तथा रिफिलिंग में प्रयुक्त होने वाली बांसुरी को **आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत राजसात** किये जाते है। **जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है उक्त जब्तशुदा सामग्री से प्राप्त राशि को स्थाई रूप राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवायें। उक्त जब्तशुदा 05 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर को अति. आयुक्त खाद्य के आदेश क्रमांक एफ86(8)खा.ले./नीति/6ए/2000 जयपुर, 19 अगस्त 2000 के अनुसरण में निस्तारण किया जाये।** आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:37 IST
Reason: SelfAttested